



## आंतरी विकास प्रादिकरण, झारखंड

पत्रांक 020300413 / जे.डी.ए.-तलपट मानचित्र-(2013-14)

दिनांक : 27 दिसम्बर 2013

श्री शेलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राकेश यादव,  
निवासी—भैरी, झांसी।


आपके पत्र दिनांक 02.03.2013 मानचित्र सं. 020300413 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित ले—आउट को आराजी नं 250 (M) भौजा भैरी के मानचित्र में दर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृति, मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उप्र०नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उप्र०नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उप्र०नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि नविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी रथानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृति मानचित्र का सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि ऐसे पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण दौरान अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्राप्ति पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (ओहूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अंद्याखिता (ओफूपारी) करेंगे।
11. मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है—
  - संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
  - संगत—समय पर शासन हारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
  - ई.लब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का आवंटन एकत्र आय वर्ग के लाभार्थियों को उपाध्यक्ष/आदास आयुक्त की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति, जिसमें जिलाधिकारी तथा विकासकर्ता के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे, के मध्यम से किया जायेगा।
12. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर, कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
13. मानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।  
इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उप्र०नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन प्रतिलिपि— स्वीकृत मानचित्र की प्रति।  
प्रतिलिपि— अवर अभियंता ..... को प्रेषित।

दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :— स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :— अवर अभियंता ..... को प्रेषित।

  
झाँसी विकास प्राधिकरण  
सचिव